



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

1945
क्रमांक _____ / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल / अका-1/2023-24
// आदेश //

दिनांक ०२/८/२३

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्राक्काठाओं के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 185 वीं रामा की बैठक दिनांक 20/07/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ऐनेंसा विश्वविद्यालय, इन्वीर (म.प्र.) के अतर्गत नवीन पाठ्यक्रम एवं पूर्व से संबलित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या में वृद्धि कर ऐक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	बहुमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 वीं अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	BCA+MCA (Integrated Courses)	240	120	360	-	20A
2	Bachelor of Fine Arts (Painting)	-	60	60		
3	Bachelor of Fine Arts (Applied Art)	-	60	60		
4	Master of Fine Arts (Painting)	-	60	60		
5	Master of Fine Arts (Applied Art)	-	60	60		
6	Master of Fine Arts (Painting)	-	60	60		
7	Master of Arts (Applied Art)	-	60	60		

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार ऐक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गार्डलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गार्ड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेसियों से येडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेकिंग संस्था/एजेसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

निस्तंक-2

०८४

(2)

- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

१५/८/२०२३

(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

महाप्रशिक्षणियोगियोग, भोपाल

दिनांक /07/2023

पृष्ठांकन _____ / म.प्र.नि.वि.दि.वि.आयोग, भोपाल / अका-1 / 2023-24

प्रतिलिपि-

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.दि.वि.आयोग, भोपाल।
- कुलसचिव, रैनेंसा विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.दि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.दि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.दि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ती।

सचिव

महाप्रशिक्षणियोगियोग, भोपाल